संख्या - 4956 दिनांक : 12-2-09

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

फाइल संख्या—जी—35748

नवीनीकरण संख्या—1532/2008–2009

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि दीनबन्धु शिक्षाप्रसार समिति

ग्राम—रामपुर पोस्ट—पुरानी बस्ती जनपद—बस्ती।

को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र संख्या 803/2003–2004

दिनांक 27.12.2003 की दिनांक 27.12.2008 से पांच वर्षों की अवधि

के लिए नवीकृत किया गया है।

250.00 रुपये की नवीनीकरण फीस सम्यक रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 11.02.2009

11-02-09

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश

प्रबन्धक
दीन बन्धु शिक्षा प्रसार समिति
रामपुर — बस्ती

Scanned by CamScanner

स्मृति-पत्र

संस्था का नाम	[illegible] शिक्षा प्रसार समिति, रामपुर बस्ती
संस्था का पूरा पता	ग्राम-रामपुर, पोस्ट-पुरानी बस्ती, जनपद-बस्ती (उ0प्र0)
संस्था का कार्य क्षेत्र	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
संस्था का उद्देश्य	(1) संस्था पीड़ित जनता की सेवा की भावना से उन सभी कार्यों को करेगी जो जनहित एवं राष्ट्र हित में हों।
	(2) बालक एवं बालिकाओं को शैक्षिक, शारीरिक, नैतिक एवं व्यावहारिक विकास की शिक्षा प्रदान करेगा।
	(3) संस्था उक्त उद्देश्यों से बालक एवं बालिकाओं के लिए प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, इण्टर मीडिएट कालेज, डिग्री कालेज एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिक्षण संस्थायें संचालित करना।
	(4) आवासीय, छात्रावास, पुस्तकालय, वाचनालय तथा अन्य समाजोपयोगी कार्यक्रमों की व्यवस्था करना।
	(5) अल्पसंख्यक तथा दलित वर्गों एवं पिछड़े वर्गों के लोगों के कल्याणार्थ शिक्षण संस्थायें, छात्रावास, औषधालय, [illegible] पुस्तकालय, वाचनालय, अनाथालय, महिला [illegible] आश्रम आदि की स्थापना करना। [illegible] अनुदान प्राप्त करना एवं [illegible] प्राप्त करना।
	(6) औद्योगिक एवं व्यावसायिक [illegible] शिक्षा संस्थाएं स्थापित करना एवं शिक्षा देना।
	(7) राष्ट्रीय [illegible] नीतियों के क्रियान्वयन करने हेतु [illegible] सहायता प्राप्त कर [illegible] करना।

(8) उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दान, अनुदान द्वारा भूमि तथा अन्य सम्पत्ति प्राप्त करना एवं आवश्यकतानुसार देना।

(9) संस्था शासन हित शिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न करने में सहायक तथा उनको साकार बनाने का कार्य करेगी तथा राष्ट्रीय तथा राज्य सरकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय देशीय एवं विदेशीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं से धन प्राप्त करना, तदनुसार कार्य करना।

(10) युवकों, किशोरों, बालक एवं बालिकाओं को सामाजिक, चरित्र निर्माण, राष्ट्रीय, स्वाभिमान, आत्मनिर्भर आदि से सम्बन्धित समस्त कार्यों का संचालन करना।

(11) कामकाजी महिलाओं के लिए हास्टल, निराश्रित लोगों के लिए संरक्षण गृह, अल्पावधि संरक्षण गृह, शिशु निकेतन, आदि का संचालन करना।

(12) समय-2 में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।

(13) परिवार कल्याण, परिवार नियोजन के महत्व के बारे में ग्रामीण अंचल महिलाओं के लिए जागरूकता शिविर व बच्चों को टीका लगवाने व बच्चों [illegible] के बारे में अवगत कराना, सम्बन्धित कार्यक्रम का संचालन करना।

(14) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विधवा, परित्यक्ता नारी, विकलांग, अंधे, निराश्रित लोगों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से अवगत करायेगा, क्रियान्वित करना तथा उसका प्रचार-प्रसार करना।

(15) ग्रामीण/शहरी/निराश्रित महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई लघु उद्योग गृह उद्योग के बारे में निःशुल्क प्रशिक्षण देना जिससे वे आत्म निर्भर हो सकें।

Scanned by CamScanner

(16) एड्स, [illegible] [illegible] होने वाली बीमारियों [illegible] का प्रचार [illegible]। तथा इनसे होने वाली बीमारियों से अवगत कराना व उनका प्रचार व प्रसार करना।

(17) बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, बालविकास योजना का आयोजन व क्रियान्वयन करना व प्रौढ़ों को शिक्षा देने की व्यवस्था करना।

(18) शिक्षित बेरोजगारों को टाईप स्कूल, कम्प्यूटर कक्षाएं, इलेक्ट्रिशियन कोर्स कराने की निःशुल्क व्यवस्था करना।

(19) समाज कल्याण विभाग, समाज कल्याण एडवाइजरी बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कपार्ट, नाबार्ड, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कल्याण विभाग, [illegible] मंत्रालय, अनुसूचित जाति एवं जन जाति आयोग एवं अन्य सरकारी गैर संस्थाओं द्वारा संचालित कार्यक्रमों को संचालित करना व उनका प्रचार प्रसार करना।

(20) अस्वस्थ व लाचार [illegible] में रहने वाले व विकलांग बच्चों के पुनर्वास [illegible], शिक्षा व प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था करना।

(21) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बच्चों एवं महिलाओं [illegible] शिक्षित प्रशिक्षित व कल्याणोत्थान करने [illegible] संचालित राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार के कार्यक्रमों को संचालित करना तथा प्रचार व प्रसार करना।

(22) राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के पिछड़े वर्गों के बच्चों, अल्पसंख्यक बच्चों नाबालिग तथा लावारिश बच्चों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों को संचालित करना एवं क्रियान्वित करना।

(23) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एवं विशेष शिक्षण एवं प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था करना।

Scanned by CamScanner

(24) बाबा भीमराव अम्बेडकर या गौतम बुद्ध के विचारों का प्रचार व प्रसार करना।

(25) उसर भूमि सुधार योजना का प्रचार एवं प्रसार तथा उससे सम्बन्धित सरकारी योजनाओं को ग्रामीण अंचल में क्रियान्वित करना।

(26) महात्मा गांधी के विचारों का प्रचार व प्रसार करना एवं कार्यान्वयन करना, जैसे-खादी ग्रामोद्योग की स्थापना करना।

(27) [illegible] मिल कल कारखानों से निकलने वाले धुएं अनियन्त्रित प्रदूषण की रोकथाम हेतु जागरण करना तथा प्रदूषण को नियंत्रित रखने सम्बन्धित सरकारी कार्यक्रमों का प्रचार व प्रसार एवं क्रियान्वयन करना।

(28) भारतीय संस्कृति, परम्परा के अनुरूप एवं पुरुष व महिलाओं के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने हेतु देश और विदेश में सहायता प्राप्त कराके उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना व उनका प्रचार व प्रसार करना।

(29) पीड़ित मानव की सेवा के उद्देश्य से निम्नलिखित संस्थाओं/इकाइयों का संचालन ग्रामीण क्षेत्रों में करना।

(क) निःशुल्क चिकित्सालय का संचालन।

(ख) अनाथ आश्रम का संचालन।

(ग) वृद्धा एवं विधवा सेवा आश्रम का संचालन।

(घ) नारी आश्रम का संचालन।

(ङ) हस्तशिल्प सेवा केन्द्र का संचालन।

(च) औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संस्थाओं का संचालन।

(छ) शिक्षा एवं कृषि सेवा संस्थाओं का संचालन।

(ज) स्वास्थ्य रक्षा एवं सेवा संस्थान की स्थापना।

(झ) निःशुल्क पशु चिकित्सालयों की स्थापना का कार्य करना।

Scanned by CamScanner

(29) कुष्ठ रोग आश्रम एवं चिकित्सालय की स्थापना करना।

(30) उन सारे कार्यों को करना जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 की धारा 21 के अन्तर्गत आती हैं।

(31) संस्थान से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को उचित प्रशिक्षण देने हेतु व्यवस्था करना।

(32) ग्रामोद्योग व लघु उद्योग के द्वारा रोजगार पैदा करना तथा कृषि धन का समुचित उपयोग करना एवं शिक्षित बेरोजगार लोगों की आय में वृद्धि करना।

(33) समाज के आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े लोगों के लिए उनके जीवन के स्तर को ऊँचा उठाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना एवं इसके अन्तर्गत, फिटर, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, कम्प्यूटर ट्रेनिंग, टंकण हिन्दी अंग्रेजी ट्रेनिंग, स्टेनो ट्रेनिंग, मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग, टी०वी० मैकेनिक इत्यादि, सभी ट्रेडों का प्रशिक्षण देना जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अन्तर्गत आता है।

(34) उक्त सभी गतिविधियों को आवश्यकता की अपेक्षा रखकर एवं उद्देश्यों में से किसी एक अथवा एक से अधिक की प्राप्ति में सहायक हो।

(35) उक्त वर्णित बिन्दुओं से सम्बन्धित समस्त छात्र छात्राओं एवं अन्य कर्मचारियों के लिए आवास एवं खाद्य सामग्री की आपूर्ति व्यवस्था करना।

नियमावली

1. संस्था का नाम — दीन बन्धु शिक्षा प्रचार समिति, रामपुर बस्ती
2. संस्था का पूरा पता — ग्राम–रामपुर, पोस्ट–पुरानी बस्ती, जनपद–बस्ती (उ०प्र०)
3. संस्था का कार्य क्षेत्र — सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था का उद्देश्य — स्मृति–पत्र के अनुसार।
5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों की शर्तें — संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए संस्था के दो अंग होंगे (1) साधारण सभा (2) प्रबन्धकारिणी सभा।

(अ) साधारण सभा — साधारण सभा के निम्नलिखित प्रकार के सदस्य होंगे।

(क) साधारण सदस्य — संस्था के साधारण सदस्य वे लोग माने जायेंगे जो एक ही वर्ष में 10/- रु० नकद या इतने ही मूल्य की अन्य सम्पत्ति संस्था को प्रतिवर्ष दान स्वरूप प्रदान करते रहेंगे।

(ख) आजीवन सदस्य — संस्था के आजीवन सदस्य वे लोग होंगे जो एक ही बार में 1000/- रु० नकद अथवा इतने ही मूल्य की अन्य सम्पत्ति संस्था को दान स्वरूप प्रदान करेंगे।

(ग) विशिष्ट सदस्य — संस्था के विशिष्ट सदस्य वे लोग होंगे जो संस्था को एक ही बार में 2500/- रु० नकद या इतने ही मूल्य की अन्य सम्पत्ति संस्था को दान स्वरूप प्रदान करेंगे।

नोट: (1) नया सदस्य बनाने के लिए प्रत्येक संस्था के इच्छुक [illegible] व्यक्ति [illegible] प्रबन्ध समिति की स्वीकृति [illegible] प्रबन्धक द्वारा सदस्य की सदस्यता स्वीकृत होना आवश्यक होगा।

(2) चन्दा अथवा दान देने से कोई व्यक्ति सदस्य नहीं माना जायेगा। सदस्यता शुल्क के रूप में ही धन देने पर ही सदस्य माना जायेगा।

6. सदस्यता की समाप्ति — किसी भी सदस्य को निम्नलिखित रूप से पाये जाने पर

(1) मृत्यु हो जाने पर।

(2) दीवालिया अथवा पागल हो जाने पर।

(3) नैतिक पतन के कारण अथवा न्यायालय से दोषी ठहराए जाने पर।

(4) संस्था के नियमों के उल्लंघन पर अथवा संस्था के विरुद्ध कार्य करने पर।

नोट: किसी सदस्य की अयोग्यता घोषित करने के लिए प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के 2/3 भाग की राय आवश्यक होगी।

7. संस्था के अंग

(अ) साधारण सभा (ब) प्रबन्धकारिणी समिति।

8. साधारण सभा

(अ) गठन– (1) साधारण सभा का गठन उपयुक्त नियम 5 में वर्णित सभी प्रकार के सदस्यों द्वारा किया जायेगा।

(ब) बैठकें– (1) सामान्य बैठक। (2) विशेष बैठक।

सामान्य बैठक– साधारण सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य बुलाई जायेगी। आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक बार भी बुलाई जा सकती है।

विशेष बैठक– प्रबन्धक की लिखित सूचना पर कभी भी बुलाई जा सकती है।

(स) सूचना अवधि– सामान्य बैठक के लिए सूचना 15 दिन पूर्व तथा आपातकालीन बैठक के लिए सूचना 5 दिन पूर्व दी जायेगी।

(द) गणपूर्ति– साधारण सभा की बैठक का कोरम साधारण सभा के सदस्यों की संख्या का 2/3 भाग उपस्थित होने पर पूर्ण माना जायेगा।

नोट: गणपूर्ति न पूर्ण होने की स्थिति में बैठक स्थगित हो जायेगी अगली बैठक की तिथि उसी दिन निर्धारित कर दी जायेगी और अगली निर्धारित तिथि को गणपूर्ति नहीं देखी

कोटियों के व आकारों का निर्धारण करना।

(7) समिति के सदस्य पदाधिकारी तथा सदस्य अपने कर्तव्यों तथा अधिकारों का उपयोग समिति द्वारा पारित प्रस्तावों के आधार पर लेगा। उद्देश्यों की पूर्ति हेतु क्रय बन्धक पट्टा उपहार या बंधन द्वारा सम्पत्ति प्राप्त करना एवं उपयोग करना तथा देना।

(8) प्रबन्धकारिणी समिति अपनी किसी भी शक्ति को उपसमिति या किसी अधिकारी को सौंप सकती है।

(9) संस्था के कार्यों का संचालन करना तथा इस अनुक्रम में विधि तथा उपविधियों को तैयार करना।

(10) कार्यकाल- प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों/सदस्यों का कार्यकाल उनके चुने जाने की दिनांक से 5 वर्ष का होगा परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक पदाधिकारी एवं सदस्य का कार्यकाल उसके उत्तराधिकारी चुने जाने तक समझा जायेगा।

10. प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के अधिकार व कर्तव्य-

(1) अध्यक्ष- 1. साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता करना।

2. समिति द्वारा पारित आदेशों का पालन करना।

3. अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का पालन करना।

4. समानता के मतदान के समय अपने अतिरिक्त मत से निर्णय करने का अधिकार होगा।

5. बैठक में वाद-विवाद के पश्चात उचित निर्णय देना।

Scanned by CamScanner

(अ) बैठकें— 1. सामान्य। 2. विशेष।

1. सामान्य रूप से वर्ष में दो बैठक होगी।

2. विशेष आवश्यकता पड़ने पर इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है।

(ब) सूचना अवधि—प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की सूचना सामान्य रूप से 7 दिन पूर्व या विशेष आवश्यकता पड़ने पर 3 दिन पूर्व दी जायेगी।

(स) गणपूर्ति—प्रबन्धकारिणी समिति का कोरम 1/2 सदस्यों पर पूरा होगा।

नोट: कोरम न पूरा होने की स्थिति में सभा स्थगित हो जायेगी अध्यक्ष की घोषणा अनुसार उसी दिन अगली बैठक की तिथि निर्धारित होगी जिसमें गणपूर्ति नहीं देखा जायेगा। एक बार सभा बुलाने पर गणपूर्ति न होने से बैठक स्थगित होने के बाद दूसरी सभा में भी यही स्थिति होने पर अध्यक्ष को सभा का संचालन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(द) रिक्त स्थानों की पूर्ति आदि—संस्था के पदाधिकारियों जैसे—अध्यक्ष।

(य) प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य एवं अधिकार—

(1) विगत कार्यवाही की पुष्टि करना।

(2) साधारण सभा के द्वारा लिए गये निर्णयों को क्रियान्वित करना।

(3) संस्था/समिति के हिसाब किताब की देख-रेख करना।

(4) बजट पर विचार तथा संशोधन करना।

(5) संस्था के उद्देश्यों के अनुसार सरकार द्वारा प्रदत्त समस्त अनुरक्षण अनुदान, विकास अनुदान प्राप्त करना तथा उसकी समुचित उपयोग की व्यवस्था करना।

(6) संस्था की ओर से चन्दा, दान, एकमुश्त सहायता, शुल्क, प्रदाय अनुदान आदि प्राप्त करना तथा उनकी कार्यों एवं

निरीक्षण करना।

(2) सभी प्रकार के दान अनुदान, चन्दा, सदस्यता शुल्क ब्याज आदि प्राप्त करना एवं व्यय करना।

(3) चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा एवं प्रबन्ध करना।

(4) निर्माण एवं अन्य कार्य में आवश्यकता पर व्यय करना।

(5) लेखा जोखा तैयार करना।

(6) संस्था के सभी प्रकार के पत्र व्यवहार करना।

(7) संस्था के मुकदमों की पैरवी करना।

(8) संस्था/समिति के उत्कर्ष हेतु चल-अचल सम्पत्ति एवं अनुबन्धों का हस्तान्तरण करना।

(9) समिति द्वारा पारित आदेशों का पालन करना।

(10) सभी धनराशियों का आदान प्रदान करना।

(11) सभी प्रकार की बैठकों को बुलाने का अधिकार।

(12) सदस्य बनाना, सदस्यता शुल्क प्राप्त करना एवं सदस्यता हेतु रसीद निर्गत करना।

(13) समिति संस्था के उद्देश्यों के अनुसार उसकी पूर्ती हेतु सभी कार्य करने का अधिकार होगा।

(14) प्रबन्धक को अपने अधिकार एवं कर्तव्य को किसी भी सदस्य को सौंपने का अधिकार होगा।

(15) समिति/संस्था की व्यवस्था सम्बन्धी सम्पूर्ण दायित्वों का निर्वहन प्रबन्धक के जिम्मे होगा।

(16) विभिन्न प्रकार की योजनाओं एवं परियोजनाओं को तैयार करना तथा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

उपप्रबन्धक/उपमंत्री:- प्रबन्धक/मंत्री की अनुपस्थिति में प्रबन्धक/मंत्री के समस्त अधिकार उपप्रबन्धक/उपमंत्री में निहित हो जायेगा।

11. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन की प्रक्रिया:-

प्रबन्धकारिणी समिति को यदि ऐसा प्रतीत होता है कि

नियमावली में किसी प्रकार का ...
की आवश्यकता है तो इस आशय का एक प्रस्ताव तैयार
करके साधारण सभा की बैठक में विचारार्थ रखा जायेगा।
साधारण सभा की बैठक में प्रस्ताव के पक्ष में 2/3 बहुमत
होने पर नियमावली में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन करके
इसकी सम्पत्ति की सूचना दे दी जायेगी।

12. संस्था का कोष (लेखा व्यवस्था):—

(1) संस्था का कोष अधिकृत पोस्ट आफिस अथवा बैंक में रखा जायेगा तथा कोषों का संचालन प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

(2) आर्थिक लेखा जोखा की व्यवस्था प्रबन्धक ही करेगा।

13. संस्था का आय व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट):—

संस्था के आय व्यय की जाँच नियमानुसार प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत करने पर लेखा परीक्षक द्वारा किया जायेगा।

14. संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व:—

संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा।

15. संस्था के अभिलेख — कार्यवाही रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, सदस्यता शुल्क रसीद, स्टाक रजिस्टर, कैश बुक आदि प्रबन्धक के पास रहेगा।

16. समिति/संस्था का कार्यकलाप बन्द हो जाने पर समिति/संस्था को विघटित करना ईष्ट अभीष्ट होगा इस आशय का एक प्रस्ताव प्रबन्धकारिणी समिति तथा साधारण सभा की बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाने पर समिति/संस्था विघटित मान ली जायेगी। समिति/संस्था के विघटित होने पर उसके सभी ऋण एवं दायित्वों को चुकाए जाने के बाद शेष धन अथवा अचल सम्पत्ति पर प्रबन्धक का स्वामित्व होगा।

प्रबन्धक

[illegible] शिक्षा प्रसार समिति ग्राम [illegible] पो0 [illegible] के पद धारी की प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष–2006-07

क्रमांक	नाम/पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्रीमती गीता चौधरी पत्नी स्व0 राम राज चौधरी	[illegible] ग्राम [illegible] बस्ती	अध्यक्ष	कृषि
2.	श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी पुत्र श्री [illegible] चौधरी	[illegible] बस्ती	उपाध्यक्ष	"
3.	श्री [illegible] चौधरी पुत्र स्व0 रामराज चौधरी	[illegible] बस्ती	प्रबन्धक/मंत्री	"
4.	श्री [illegible] चौधरी पुत्र स्व0 रामराज चौधरी	[illegible] बस्ती	उपप्रबन्धक/उपमंत्री	"
5.	श्री राज किशोर चौधरी पत्नी श्री [illegible] चौधरी	[illegible] बस्ती	सदस्य	"
6.	श्री परमात्मा प्रसाद चौधरी पुत्र श्री रामदेव चौधरी	ग्राम [illegible] सिद्धार्थनगर	सदस्य	नौकरी
7.	श्री लाल बहादुर चौधरी पुत्र श्री राम [illegible] चौधरी	[illegible] सिद्धार्थनगर	सदस्य	"
8.	श्री राज कुमार चौधरी पुत्र श्री [illegible] चौधरी	[illegible] बस्ती	सदस्य	कृषि
9.	श्री [illegible] चौधरी पुत्र श्री [illegible] चौधरी	[illegible] बस्ती	सदस्य	"
10.	श्री श्याम कुमार चौधरी पुत्र श्री [illegible] चौधरी	[illegible] सिद्धार्थनगर	सदस्य	"
11.	श्री रामानंद चौधरी पुत्र श्री त्रिवेणी चौधरी	[illegible] सिद्धार्थनगर	सदस्य	नौकरी

Scanned by CamScanner